संख्या- 38 /2025/I/1085750/2025/ 71-4099/19/2025

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक-11.09.2025

विषय:-पी0पी0पी0 मोड पर स्थापित मेडिकल कालेज को (Incentive) प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-1/2025/1937, दिनांक-14.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पी0पी0पी0 मोड पर जनपद शामली में स्थापित अजय सिंघाल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साईसेज रिसर्च एण्ड आयुष्मान हास्पिटल शामली को वित्तीय वर्ष 2025-26 के मानक मद-42 अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत संस्था को शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु वित्तीय सहायता (Incentive) प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-92 (16 असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 मोड पर मेडिकल कालेज की स्थापना) के मानक मद 42 अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु शासनादेश दिनांक 17.09.2021 द्वारा निर्गत नीति में विहित व्यवस्था के दृष्टिगत पी0पी0पी0 मोड पर जनपद शामली में स्थापित अजय सिंघाल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साईसेज रिसर्च एण्ड आयुष्मान हास्पिटल शामली को शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु निम्नलिखित विवरण एवं शर्तो के अधीन धनराशि रू0 8,50,00,000.00 (रूपये आठ करोड पचास लाख मात्र) अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि रूपए में

1	Interest subsidy (Max.)	1,00,00,000.00
2	Assistance per seat (Rs. 5,00,000 per student for 150 Seats)	7,50,00,000.00
	Total	8,50,00,000.00

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा एवं उक्त धनराशि के आकलन एवं शुद्धता के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफीस में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-27 मार्च,2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक-31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।
5. संस्था द्वारा शासन से किये गये कन्शेसन एग्रीमेन्ट दिनांक-07 अप्रैल, 2022 में उल्लिखित शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि को कोषागार से आहरित कर नियमानुसार अजय सिंघाल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साईसेज रिसर्च एण्ड आयुष्मान हास्पिटल शामली को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,50,00,000 (रुपये आठ करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050392 16 असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 मोड पर मेडिकल कालेज की स्थापना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-68/दस-2025-26 दिनांक 04-08-2025 में प्रदत्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबंधक, अजय सिंघाल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साईसेज रिसर्च एण्ड आयुष्मान हास्पिटल शामली
5. वित्त अधिकारी, महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in